न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 18/18

सन् 2018

आरसीएमएस संख्या 2017/000229

बउनवानीः–

1. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि श्री सुरेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति श्यामा पत्नि श्री महेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1426 निर्णय दिनांक 9.9.2017 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री त्रिलोक राय गोयल — वकील अपीलान्ट

2. श्री महावरी चौधरी — पैरोकार राजस्व

–ः निर्णय ः–

दिनांक 1.10.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1426 निर्णय दिनांक 9.9.2017 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि खसरा नम्बर 4654 रकबा 0.23 है0 बारानी–3 अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन है। जिसके बीच में होकर अधीनस्थ न्यायालय ने नया नम्बर 5064/4654 रकबा 0.0768 डालकर नये गैर मुमकिन रास्ते का नामा0 तस्दीक कर दिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नही है। इस नामा0 के कारण अपीलान्ट का खेत बरबाद व बेकार हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर भी नही दिया है जो न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि उक्त रास्ता यदि अपीलान्ट के खेत के पश्चिमी दिशा की तरफ नाले के सहारे–सहारे दिया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाता तो प्रार्थी के खेत के दो टुकडे नही होते है। अतः आदेश जैर अपील खारिज करते हुए उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 4654 के पश्चिमी दिशा मे से नये ख0न0 5064/4654 रकबा 0.0786 का अंकन करवाया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.5.2017 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर आदेश जैर अपील की नकल दिनांक 4.6.2018 को प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि आदेश जैर अपील नामा0 1426 दिनांक 9.9.2017 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक आरए/1675–78 दिनांक 1.9.2017 की पालना मे भरकर दर्ज फैसल किया गया है। तथा विवादित नामा0 के द्वारा अपीलान्ट के ख0न0 4654 रकबा 0.023 मे से नया ख0न0 5064/4654 रकबा 0.0768 का अंकन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है खातेदारी अपीलान्ट के नाम यथावत है। उक्त नामा0 के द्वारा केवल मात्र बारानी–3 के बजाय गै0मु0 रास्ता का अंकन किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1426 दिनांक 9.9.2017 से अपीलान्ट के खेत ख0न0 4654 रकबा 0.23 मे से नया ख0न0 5064/4654 रकबा 0.0768 का अंकन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया गया है। तथा पैरोकार राजस्व के अनुसार उक्त नामा0 राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के क्रम में उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 1675–1.9.2017 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है एवं उक्त नामा0 से अपीलान्ट के खाते की भूमि की केवल किस्म परिवर्तन ही की गयी है। अपीलान्ट के खाते का रकबा कम नही किया है इसलिए आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। वकील अपीलान्ट का यह कथन विचारणीय प्रतीत होता है कि अपीलान्ट के खेत ख0न0 4654 रकबा 0.23 के पश्चिम दिशा में नाले सहारे से ख0न0 5064/4654 रकबा 0.0768 का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जाने से खेत के टुकडे नही होगे। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार राजस्व के कथनानुसार आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। किन्तु न्यायहित में तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के खेत ख0न0 4654 रकबा 0.23 के पश्चिम दिशा में नाले सहारे से ख0न0 5064/4654 रकबा 0.0768 का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.19 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: